कार्यालय प्राचार्य, महारानी पुष्पमाला राजे पवार शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

E-mail : heggcdew@mp.gov.in ☎ 07272-228211

क्रमांक :- ......1147........ दिनांक :- 15/09/2022

नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण योजना 2022-23 हेतु निविदा आमंत्रण

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र् 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण के लिए स्टेशनरी का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। स्टेशनरी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सामग्री का नाम	दर प्रति नग	वेट/जी.एस.टी.	योग
1.	रजिस्टर लॉग ए-4 साइज 152 पेज			
2.	रजिस्टर लॉग ए-4 साइज 240 पेज			
3.	बॉल पेन (Pentek)			
4.	जेल पेन (Pentek)			
5.	पेंसिल (Natraj)			
6.	रबर बिग साइज			
7.	स्केल 12 इंच स्टील			
8.	प्रोजेक्ट पेपर			
9.	प्रोजेक्ट फाइल			

उपरोक्त सामग्री के लिए निविदा निम्नलिखित शर्तो पर आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा की अमानत राशि रुपये 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (वापसी योग्य) प्राचार्य, महारानी पुष्पमाला राजे पवार शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास को देय संलग्न होना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा स्वीकृत नहीं होने की दशा में अमानत राशि प्रदायकर्ता को वापिस कर दी जावेगी तथा स्वीकृत होने की दशा में राशि महाविद्यालय में जमा रहेगी। किसी भी प्रकार की वसूली विक्रेता से होने पर महाविद्यालयीन प्राचार्य को इस राशि से समायोजित करने का अधिकार रहेगा। निविदा स्वीकृती के पश्चात् यदि सेम्पल अनुसार नियत समय में निर्देशानुसार बण्डल बनाकर सामग्री का प्रदाय नहीं किया जाता है तो अमानत राशि राजसात करने कर अधिकार प्राचार्य का होगा तथा भविष्य के लिए फर्म को ब्लेकलिस्ट किया जावेगा।
2. निविदा के साथ उपरोक्त सभी सामग्री का सेम्पल सेट देना अनिवार्य है, यदि निविदा के साथ का सामग्री का सेम्पल सेट नहीं दिया जाता है तो निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. सेम्पल के रूप में दी गई सामग्री पर विक्रेता के फर्म की सील होना अनिवार्य है।
4. निविदा में PAN/TIN/MPST No./CST No./GST No. आदि का उल्लेख होना आवश्यक है।

5. सामग्री महाविद्यालय तक प्रदाय करने का व्यय (एफ.ओ.आर.) की ज़वाबदारी विक्रेता की होगी।

6. निविदा प्रसारण दिनांक से पंद्रह दिन में महाविद्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है, निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाऐं मान्य नहीं होगीं।

7. स्वीकृत निविदा की फर्म को क्रय आदेश दिनांक से पंद्रह दिवस में सामग्री का प्रदाय करना होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार बण्डल बनाकर देना होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन नहीं होने पर भी अमानत राशि राजसात करने का अधिकार प्रचार्य का होगा।

9. निविदा स्वीकृत, अस्वीकृत तथा आंशिक रूप से स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य, महारानी पुष्पमाला राजे पवार शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास का होगा।

10. लिफाफे पर "स्टेशनरी प्रदाय हेतु निविदा" आवश्यक अंकित करें।

प्राचार्य
महारानी पुष्पमाला राजे पवार
शासकीय कन्या महाविद्यालय
देवास (म.प्र.)

प्राचार्य
महारानी पुष्पमाला राजे पवार
शासकीय कन्या महाविद्यालय
देवास (फोन नं.-07272-228211)